सं. ए-60011/08/2018-एमई/ट्रेनिंग
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
प्रशिक्षण प्रभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
दिनांक: 16th अप्रैल, 2021

अधिसूचना

यह मंत्रालय अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान (एआईआईएच एवं पीएच), कोलकाता में सहायक क्षेत्र कार्यकर्ता के मौजूदा पद संबंधी भर्ती नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संदर्भ में प्रारूप भर्ती नियम तैयार किए गए हैं तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

2. भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग और अन्य एजेंसियों के साथ भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव लेने के पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिसूचना की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर इस मामले पर सभी हितधारकों से टिप्पणिया, यदि कोई हो, आमंत्रित की जाती है। विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर हितधारकों से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर नियमों/आवश्यकता के अनुसार मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियां आधोहस्ताक्षरी को कक्ष सं. 503-ए, ए विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली 110011 में प्रस्तुत की जा सकती है और सॉफ्ट कॉपी kimar.pranav@nic.in पर भेजी जा सकती है।

कुमार प्रणव

(कुमार प्रणव)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेली: 011-23061881

[भारत के राजपत्र,भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नईदिल्ली, तारीख: 2021

सा.का.नि. . . . -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान,कोलकाता में सहायक क्षेत्र कार्यकतकि पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता,सहायक क्षेत्र कार्यकर्ता (समूह 'ग' पद)भर्ती नियम, 2021 है ।
(2) ये राजपत्र में उनकेप्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. **लागू होना**-ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे ।
3. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि**-उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
5. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, और इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
7. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक क्षेत्र कार्यकर्ता	3* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग',अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपए)	लागू नहीं होता ।	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1:आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न की वह अंतिम तारीख जो असम,मेघालय, अरुणाचलप्रदेश,मिज़ोरम, मणिपुर,नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिला का पांगी उपखंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीपके अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है । टिप्पण 2:रोजगार कार्यालय के माध्यम से पद पर नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय को नामों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ।	क. अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं उत्तीर्ण या इसके समतुल्य। ख. वांछनीय: क्षेत्र सर्वेक्षण का एक वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसारशिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण-2 अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसारतब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारीकी यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्नपद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पुष्टि समितिहै,तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष।	100% सीधी भर्तीद्वारा ।	लागू नहीं होता ।	चयन समिति,सहायक क्षेत्र कार्यकर्ता के पद परपुष्टि पर विचार करने के लिए:- (1) अपर निदेशक,अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता - अध्यक्ष; (2) निदेशक द्वारा नामित एक वरिष्ठ समूह 'क' अधिकारी - सदस्य; (3) संबंधित विभाग के अध्यक्ष- सदस्य; (4) प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता ।